



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161854

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 32072 वर्ष 2025**

धीरेन्द्र कुमार सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आयुष मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अमित कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 81**

**माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 22.10.2023, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 10.05.2024 तथा आपराधिक वाद संख्या 4790 सन् 2024 (राज्य बनाम धीरज सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 217 सन् 2023 से उत्पन्न हुई है, धारा 506 आई.पी.सी., थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र के अंतर्गत।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है तथा उसका कथित घटना, खनन निविदा अथवा महादेव माइनिंग से कोई संबंध नहीं है। तर्क दिया गया कि जांच के दौरान आवेदक की संलिप्तता दर्शाने वाला कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है।

4. आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक को मामले में गलत तरीके से नामित किया गया है। सूचनाकर्ता ने कहा है कि वह आवेदक से कभी नहीं मिला था, आवेदक का महादेव माइनिंग से कोई संबंध नहीं था, एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को वर्तमान आवेदक धीरेंद्र कुमार सिंह के रूप में गलत तरीके से परिचित कराया और सूचनाकर्ता के परिवार को धमकी दी। सूचनाकर्ता ने यह भी कहा है कि उस व्यक्ति की वास्तविक पहचान सामने आने के बाद वह गायब हो गया। वर्तमान आवेदक ने किसी भी समय उसे कभी धमकी नहीं दी और न ही उस पर कोई दबाव बनाया। अतः प्रस्तुत किया गया कि गलत पहचान के कारण आवेदक को मामले में फंसाया गया है।

5. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध विवाद अब शेष नहीं है। उन्होंने प्रति-शपथपत्र का समर्थन किया और कहा कि सत्यापन के पश्चात्

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह पाया गया कि घटना में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी और गलत पहचान के कारण उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। तथापि, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि जांच के पश्चात आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

6. प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात इस न्यायालय का मत है कि आवेदक के विरुद्ध अभियोजन का मामला केवल इस आरोप पर आधारित है कि उसने सूचनाकर्ता को धमकी दी थी। तथापि, प्रति-शपथपत्र के अनुच्छेद 3 में सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और न ही उसे कभी धमकी दी तथा उसका घटना से कोई संबंध नहीं था। सूचनाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने आवेदक के नाम का झूठा उपयोग किया था और इस गलती के कारण आवेदक को मामले में फंसाया गया।

7. धारा 506 आई.पी.सी. के अवलोकन से यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता को भय उत्पन्न करने के आशय से स्पष्ट रूप से धमकी दी गई हो। यदि अभियुक्त ने कोई धमकी नहीं दी है, तो अपराध नहीं बनता है और वर्तमान मामले में सूचनाकर्ता ने स्वयं कहा है कि आवेदक ने उसे कभी धमकी नहीं दी। अतः धारा 506 आई.पी.सी. के मूल तत्व अनुपस्थित हैं।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **माणिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य, (2015) 7 एससीसी 423** में अभिनिर्धारित किया है कि भय उत्पन्न करने के किसी आशय के बिना मात्र शब्दों की अभिव्यक्ति, मामले को आपराधिक अभित्रास के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसी



प्रकार, तुहिन कुमार बिस्वास उर्फ बुंबा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2015 (7) एससीसी 423 में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“आगे, धारा 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक अभिवास का अपराध गठित करने के लिए यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसने किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, क्षति पहुंचाने की धमकी इस आशय से दी हो कि भय उत्पन्न हो। इस मात्र अस्पष्ट आरोप के अतिरिक्त कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के फोटो खींचकर उसे भयभीत किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्र में इस बात के संबंध में पूर्णतः मौन है कि शिकायतकर्ता को उसके शरीर अथवा संपत्ति को किसी क्षति की किस प्रकार धमकी दी गई। शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से कहे गए शब्दों का भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। परिणामस्वरूप, भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को उनके मूल रूप में स्वीकार किया जाए, तब भी आपराधिक अभिवास के अपराध के तत्व आकर्षित नहीं होते।”

9. वर्तमान मामले में न केवल धारा 506 आई.पी.सी. के तत्व अनुपस्थित हैं, बल्कि अभियोजन का मामला इस कारण भी विफल हो जाता है कि सूचनाकर्ता ने स्वयं कहा है कि घटना में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी। अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है। आपराधिक वाद संख्या 4790 सन् 2024 (राज्य बनाम धीरज सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 217 सन् 2023 से उत्पन्न हुई है, धारा 506 आई.पी.सी., थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र के अंतर्गत, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

03 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)